न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 47/2022 बउनवानी राजरानी यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कले. सवाईमाधोपुर
पत्नि डॉ0 भूपन्द्र सिंह यादव, 34, अल्कापुरी जयपुर तहसीलदार खण्डार
GCMS No-2022/91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.6.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 3.4.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक प.12(8)शिका/स्था/2020/6276 दिनांक 24.11.2020 की पालना में उपजिला कलेक्टर खण्डार से श्री प्रेमसिंह चारण तत्कालीन उपजिला कलेक्टर खण्डार प्राप्त जॉच रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार खण्डार ने अपने पत्रांक/भू.अ./2020/587 दिनांक 12.10.2020 की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रेषित की हुई है जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा की गयी कार्यवाही मय नोटशीट एवं निर्णय की प्र0प्रति उपलब्ध करावे। 2. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक प.1(8)शिका/स्था/2019 /6175 दिनांक 16.10.2018 समसं. 6681 दिनांक 21.12.2018 एवं समसं. 6175 दिनांक 16.10.2018 की पालना मे उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक रिकार्ड की प्र0प्रति जो जॉच श्री विश्भवंर दयाल शर्मा, तहसीलदार के विरूद्व प्रेषित शुद्वा थी 3. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय पत्रांक प.12/विविध/राजस्व/12/पार्ट–ाा/4113 दिनांक 18.6.2018 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से श्री महेन्द्र लोढा के विरूद्व प्रेषित जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति मय संलग्नक। 4. यह है कि मा0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक/विकास/परिवाद/2020/19327 दिनांक 18.8.2020 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से तत्कालीन विकास अधिकारी खण्डार वगै. के विरूद्व प्राप्त जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति मय संलग्नक/रिकार्ड की प्र0प्रति । 5. यह है कि मा0 तहसीलदारस खण्डार के पत्रांक एलआर/17/647 दिनांक 14.12.2017 जो श्रीमति राजरानी यादव के नाम प्रेषित की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक/ रिकार्ड की प्र.प्रति। 6. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय पत्रांक/रीडर/सतर्कता/2010/710/दिनांक 1.10.2020 की पालना में पटवारी दौलतपुरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.10.2010 की प्र0प्रति मय संलग्नक/रिकार्ड की प्र0प्रति। 7. (ाा). यह है कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2010 के संबंध में प्रार्थीया/आवेदिका द्वारा अपने आरटीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2019 की प्र0प्रति जो प्रथम अपील जिला कलेक्टर 33/19 व द्वितीय अपील मा. सूचना आयोग संख्या 109624/2019 मे आयोग पत्रांक प.2 (5) अपील/109624/आरटीआई–19/2325 दिनांक 10.7.2019 से संबंधित आवेदन पत्र एवं उक्त आवेदन पत्र दिनांक 16.4.2019 की प्र0प्रति। (ाा). यह है कि आवेदन पत्र से संबंधित ख0न0 823/544 (544/1) की वि.स. 2074–78 की जमाबन्दी की प्र0प्रति। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.2(64)सूकाअ/2022/379 दिनांक 8.6.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 3.4.2022 के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना संस्थापन अनुभाग एवं एडीएम कोर्ट से तथा बिन्दु संख्या 3,4 की सूचना राजस्व व विकास अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 7(I) की सूचना का संबंध में आरटीआई अनुभाग से होने के कारण सभी अनुभागो से सूचना संकलित की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 362 दिनांक 3.6.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 5,7(II) की कुल 26 पृष्ठों सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./22/304 दिनांक 17.5.2022 एवं बिन्दु संख्या 6 की 4 पृष्ठों की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/22/315 दिनांक 3.6.2022 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार बिन्दुवार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,7(I) मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(64)सूकाअ/2022/362 दिनांक 3.6.2022 जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या संख्या 5,7(II) की कुल 26 पृष्ठों सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ. /22/304 दिनांक 17.5.2022 एवं बिन्दु संख्या 6 की 4 पृष्ठों की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक रीडर/22/315 दिनांक 3.6.2022 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का उज्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ठ है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर